में बागड़ी जी नहीं कहते । बड़े-2 किसान जो कोर्ट में चले जाते थे और अभी एक भाई ने कहा कि मुआवजा सिर्फ उनको ही मिलता था हमने इसमें क्लाज लगाई है कि जो बड़े किसान कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट जो फैसला करता है और उनको जो मुआवजे की कीमत दी जाती है, तो आस पास के जितने भी लोग हैं जो कोर्ट नहीं जा सकते और जिनको कम कीमत मिली है, उन्होंने कलैक्टर का अवार्ड ले लिया है, उनको भी हक होगा कि वे इतने मुआवजे के लिए कलेक्टर को दर्ख्वास्त दे सकें ।

एक दूसरा कदम जो उठाया गया है जिससे लिटीगेशन पीरियड कम हो । लोग जिससे कोर्ट में न जाएं । अगर कोई पूरा ग्रुप आकर कलैक्टर के पास बैठकर डिसकस करता है और वे सभी एक बात पर सहमत हो जाते हैं कि हमको इतना मुआवजा मिलना चाहिए तो कलैक्टर के लिए उस पूरे ग्रुप को मुआवजा देने की बात भी है । इस तरह से जो हमारी ......।

20.44. hrs.

RE-REHIJACKED PLANE ON IAC FLIGHT IC-421 ON 24th AUGUST, 1984

MR, DEPUTY-SPEAKER : Mrs. Kidwai, wait a minute. Please sit down. Shri Khurshed Alam Khan. He is to go out.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI KHURSHEED ALAM KHAN) : Mr. Deputy-Speaker, Sir. I thought I would share the good news with the hon. Members in this House. At 8-30, all the crew and passengers have been released. The aircraft is in our possession and everybody is safe and sound.

SHRI MANI RAM BAGRI (Hissar) : What about the hijackers ?

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN : Dubai authorities coorperated with us. Because they are on their soil now, their law will take its own course.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we will continue the Land Acquisition (Amendment) Bill. Shrimati Mohsina Kidwai.

20 45 hrs.

LAND ACQUISITION (AMENDMENT BILL-CONTD.

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं मैं समझती हूं, कोई भी लॉ पत्थर की लकीर नहीं होता कि कभी उसे बदला नहीं जा सके । जब कोई लॉ बनता है और वह एक्सीक्युट होता है तो उसके बाद उसकी कमियां सामने आती हैं कि इसमें क्या कमियां हैं । उसके बाद अमेंड करने की कोशिश की जाती है । माननीय रंगा जी ने जो कहा, मुझे उम्मीद है, वह खुश होंगे ।

Mr. Ranga, you will be happy to know that we have accepted your suggestion of 12%.

सरकार की तरफ से अमेंडमेंट आया है कि 10 परसेंट की बजाय उनको 12 परसेंट मिलना चाहिए । उनकी भी यही कोशिश है कि उनको 12 परसेंट मिले । जहां तक रिहेबिलिटेशन की बात है, भारत सरकार की गाईड-लाईन्स हैं कि जहां जिसकी जमीन ली जाए उस खानदान में से एक शख्स को नौकरी जरूर दी जाए । इसको हम स्ट्रीक्टली फालो करेंगे । ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की जमीन लेनी पड़ती है, जिनके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा होता है । उसको हम मजबूरन लेते है, सड़कें, नहरें, फेक्ट्रीज या अस्पताल बनाने हैं तो जाहिर है कि जमीन पर बनायेंगे आसमान पर तो बनेंगे नहीं । जमीन पर